जारी/जी0डी0
01/02/18

उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या- 144/78-1-2018-87आई0टी0/2014
लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1134/78-1-2017-87आईटी/2014 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा शासनादेश संख्या 1621/78- 1-2016-123 आईटी/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014" को अवक्रमित करती है।

जारी
01/02/18

2- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-उक्त नीति के बिन्दु 3.5 नीति कार्यान्वयन इकाई में निम्नवत् व्यवस्था की गई है:-

3.5 नीति कार्यान्वयन इकाई

नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु निवेशक के दावों पर सुगम एवँ प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में एकल खिड़की निस्तारण इकाई के रूप में निवेशकों के साथ घनिष्ठता से कार्य करेगी।

इसके अतिरिक्त पी.आई.यू. द्वारा रू 200 करोड़ से अधिक सम्भावित निवेश वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

रु 200 करोड़ से कम पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं को इस नीति के अनुरूप, प्रस्ताव के आधार पर नियमानुसार स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया जाना।

निवेश प्रस्ताव के सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त समय-समय पर निवेशकों द्वारा किये गये दावों/प्रतिपूर्ति पर मिशन निदेशालय की संस्तुति पर नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

नीति कार्यान्वयन इकाई अवरोधों के समयबद्ध रूप से निवारण (clearing roadblock) में भी उत्तरदायी होगा। यदि समय-सीमा के भीतर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो मामला सशक्त समिति के समक्ष आ जायेगा।

3- उपरोक्त व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 से सम्बन्धित मामलों के बारे में निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit) का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1	अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

3	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	विशेष सचिव, आईटी एवं एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी	सदस्य सचिव

4- यूपीएलसी द्वारा उपरोक्त कार्यकलापों हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सँख्या 1265/78-1-2014-165आईटी/2014 दिनांक 09 दिसम्बर 2014 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

O/C

संख्या- 144 (1)/78-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2 पीआईयू समिति के समस्त सदस्यगण।
3 अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
4 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में समिति की बैठक आहूत करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6 प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेट, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
7 राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, अपट्रान भवन,गोमती नगर,लखनऊ।
8 गार्ड फाइल।

Verma 01-02-2018

01/02/18

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
उप सचिव।

O/C